संख्या–भा.स. 308/14–2–2017–800(83)/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषय :– मिर्जापुर में उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 जिगना दादर कला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/04/50/2017/एफसी/668 दिनांक 07.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.12.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी आलेख्य शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data G. SO.Nodal.GO

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1590/11–सी– FP/UP/Trans/24154/2017, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 14 ,2017

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित उपरोक्त बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकण कर सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित उपरोक्त बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकण कर सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कार्पो0 लि0, पथरहिया रोड़, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।